



88/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : १०२२/०३/७६ / एक / २०२०-२१
सेवा में,


दिनांक : २/५/२०२०

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-इलाहाबाद (प्रयागराज)
विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	538802010014396	IFSC Code UBIN0553883	73.868 (धनराशि लाख रु० में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	किश्त सं.	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० फूलपुर	वार्ड नं०-७, कैथाना नलकूप कालोनी में राजेन्द्र के घरसे तालाब होते हुए मुबारकपुर रोड तैयब के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	3.181
2	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० फूलपुर	वार्ड नं०-७, नलकूप कालोनी से अतीक के दरवाजे से अनवर के मकान के आगे तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	5.013
3	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० फूलपुर	वार्ड नं०-२, जाफरगंज में सी०सी० रोड से शीतला प्रसाद के मकान होते हुए भोला राम के मकान तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	1.219
4	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० फूलपुर	वार्ड नं०-१, फूलचन्द के घर के बगल से अशोक कुमार के घर के सामने तक व वैद्यनाथ के घर से तालाब तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	2.189
5	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० लालगोपालगंज	वार्ड नं०-४, दुईजी का पुरा में पितई के घर से छोटी नहर होते हुए जय प्रकाश पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	5.094
6	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० लालगोपालगंज	वार्ड नं०-७, चटकी में नाला पटरी से होते हुए जंगबहादुर पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	5.908
7	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० लालगोपालगंज	वार्ड नं०-८, इब्राहिम पुर में शम्भूलाल पटेल के घर से राम खेलावन के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	2.545



राज्य नगरीय विकास अभियान, उठोप्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	किश्त सं.	अवमुक्त की जा रही धनराशि
8	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० लालगोपालगंज	वार्ड नं०-८, इब्राहिम पुर में शारदा पटेल के घर से मुन्ना पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	2.545
9	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०प० सिरसी •	वार्ड नं० ०३ पूरा जगन्नाथ में टाल चौराहा के दाहिने बिजली आफिस तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	3.092
10	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०पा०प० प्रयागराज	रामबाग में रेलवे लाइन के नीचे पप्पू कनौजिया के मकान से १४२ साउथ मलाका बबू खरादिया के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	9.582
11	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०पा०प० प्रयागराज	वार्ड सं०-९, महावीरन गली में मकान नं०-०२ यसराज फर्नीचर के सामने तथा ८७/५ जालिम सिंह का हाता में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	8.159
12	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०पा०प० प्रयागराज	वार्ड नं०-९, म० नं०-४ बदलापुर गोबर गली में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	3.870
13	प्रयागराज	म०ब०-८३	न०पा०प० प्रयागराज	माधोपुर खरकौनी नैनी में आनन्द मार्ग स्कूल से माधव ज्ञान केन्द्र स्कूल तक एवं स्कूल तक एवं स्कूल के आस-पास तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	21.471
	योग					73.868

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उठोप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिस्मृतियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिस्मृतियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



४३

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 5— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6— उक्त धनराशि डूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 7— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करां की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9— शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

02.05.2020

(वित्त नियन्त्रक)

सूडा

सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परिरो अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

02.05.2020

(वित्त नियन्त्रक)

सूडा